

6/9/24

मिसल पेशा उभयपक्ष अधिकारों का पेशेकार उपो
 अंतर्गत पर कर्तव्य धारा 212 RSM पर वही उभयपक्ष
 सुनी गई। मूल पत्रावली उ.के. 125/2023 (2023/320)
 उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर मिसल पेशेकार उभयपक्ष
 एवं उभयपक्षों की भाषा में तदनुसार ही मिसल पेशेकार
 कोष पर कर्तव्य पर डा. डिप्टी जारी की जा चुकी
 है जिससे उक्त प्रमाण में कोई कार्यवाही शेष
 नहीं रहती है। उक्त दिनांक 22.8.23 को जारी कर्तव्य
 के द्वारा निवेदन को खारिज किया जाता है।
 पत्रावली मिसल शुभा (उपरोक्त) से कर्तव्य



सहायक कलेक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी
 गंगापूर जिला बीलवासा